कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक /पी.ए./प्र.अ./मानि./07 भोपाल, दिनांक 14.12.07

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां,भोपाल परिक्षेत्र

समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश ।

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश ।

विषयः– महत्वपूर्ण कार्यो के निर्देश ।

कुछ समय पूर्व माननीय मंत्रीजी द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में अधिकांश माननीय सांसदों एवं माननीय विधायकों द्वारा कहा गया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली बैठकों की जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है तथा किये जाने वाले कार्यो की भी जानकारी उन्हें नहीं दी जाती है । यह स्थिति अत्यधिक अवांछनीय है । सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जिले में इस प्रकार की बैठकें प्रतिमाह हों । यह भी उचित होगा कि मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री स्वयं ऐसी जिले की बैठकों में एक बार जाएं तथा स्वयं माननीय सांसदों एवं माननीय विधायकों से चर्चा कर विभागीय गतिविधियों की जानकारी दें। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने से विभाग की छवि में सुधार होगा । अनिवार्य रूप से प्रत्येक जिले में प्रत्येक माह बैठक हों, उनकी लिखित सूचना जारी की जाए, जिनकी अभिस्वीकृति अभिलेख में उपलब्ध रहे तथा बैठकों का कार्य विवरण भी अनिवार्य रूप से जारी हो ।

2. अन्य विभागों द्वारा स्थापित किये गये सार्वजनिक पेयजल के हैण्डपंपों के संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि इन सभी का संधारण विभाग द्वारा किया जायेगा । कुछ विभागीय अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कठिनाई सूचित की गई है कि इस प्रकार के हैण्डपंप जो अन्य विभागों द्वारा स्थापित किये गये हैं या विधायक निधि से किये गये हैं उनकी गहराई बहुत कम है तथा कुछ समय में ही इनका पानी समाप्त होने की संभावना है एवं आगामी समय में इस कारण बंद हैण्डपंपों की संख्या बहुत अधिक हो जायेगी । कई जिलों में केसिंग पाइप, हैण्डपंप तथा प्लेटफार्म की गुणवत्ता संबंधी कठिनाई भी सूचित की गई हैं । कृपया तत्काल समीक्षा करें कि कितने जिलों में इस प्रकार के हैण्डपंपों की संख्या बहुत अधिक है तथा उन जिलों में विशेष रूप से इन संभावित कठिनाईयों का अध्ययन करें तथा क्या कार्यवाही की जाना आवश्यक है, यह प्रस्तावित करें । जिन जिलों में कम संख्या में ऐसे हैण्डपंप हैं उनमें कठिनाई नहीं होगी किन्तु जहां बहुत अधिक ऐसे हैण्डपंप हैं, उनमें विशेष व्यवस्था अभी से की जाना आवश्यक होगी तथा ऐसे हैण्डपंपों की रिर्पोटिंग भी पृथक से की जाना आवश्यक होगा। ऐसे हैण्डपंपों को पृथक से किस प्रकार चिन्हित किया जा सकता है, यह अभी से निर्णय लिया जाना आवश्यक है ।

3. हैण्डपंप संधारण के संबंध में अभी भी कई जिलों में यह जानकारी दी जा रही है कि रू. 500/– प्रति हैण्डपंप सीमा के कारण संधारण नहीं हो रहा है । यह स्थिति सही नहीं है । जो आवंटन दिया जा रहा है उसमें राइजर पाइप के लिये पृथक से राशि दी जा रही है तथा हैण्डपंप संधारण के लिये पर्याप्त धनराशि दी जा रही है जो रू. 700/– से रू. 800/– तक है । इसकी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें एवं यदि किसी जिले में कोई विशेष कठिनाई हो तो तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें, किन्तु इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां नहीं दी जाना चाहिये ।

4. कुछ जिलों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पीने के पानी की विशेष कठिनाई है तथा इस प्रकार के क्षेत्र पहाड़ी आदि क्षेत्र में होने के कारण अथवा नदी के दूसरी ओर होने के कारण इनमें पेयजल की समस्या है यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रकार की विशेष कठिनाई वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर उनके लिये एक विशेष योजना बनायी जाए एवं यदि आवश्यकता हो तो समूह नल जल योजना के माध्यम से भी पेयजल आपूर्ति की जाए, यदि नलकूपों या कुओं में पानी नहीं मिलता है तो सतही स्त्रोत पर योजना बनायी जाए एवं ऐसे क्षेत्रों की कठिनाई का स्थाई निराकरण किया जाए । यह कार्यवाही आवश्यक रूप से एक माह में कर ली जाए तथा सभी मुख्य अभियंता यह प्रमाणित करें कि अब इस प्रकार के कोई क्षेत्र उनके परिक्षेत्र में शेष नहीं हैं । इस प्रकार के क्षेत्रों की समस्या बैठक में माननीय मंत्रीजी को जनप्रतिनिधियों द्वारा सूचित की जाती है जबकि निराकरण का दायित्व विभाग का है।

5. समीक्षा बैठकों में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में क्या क्या कार्य किये गये हैं उनकी सूची अनिवार्य रूप से विभागीय अधिकारी रखें, आवंटन एवं व्यय की स्थिति भी विधान सभावार रखी जाए जिससे चाहे जाने पर माननीय सदस्यों को तत्काल उपलब्ध करायी जा सके । स्टॉफ संबंधी जानकारियां भी रखी जाएं ।

6. कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा कुओं की गहराई केवल 15 मीटर तक अथवा नलकूपों की गहराई एक सीमा तक ही विभाग द्वारा रखी जाने की कठिनाई सूचित की जाती है, किन्तु ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं एवं आवश्यकतानुसार गहराई रखी जाना है जिससे पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की कोई भी भ्रामक जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं दी जाए ।

7. माननीय मंत्रीजी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी अधिकारी एवं उपयंत्री अपने पास डायरी रखें जिसमें दिन प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों एवं भ्रमण का पूर्ण विवरण रखा जाए । सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ग्रामीण स्तर तक व्यापक दौरा करें जिससे उन्हें फील्ड की सही स्थिति ज्ञात हो सके ।

8. कई प्रकरणों में यह जानकारी प्राप्त होती है कि विभागीय नलकूपों का उपयोग सिंचाई आदि कार्यों के लिये ग्राम में कर लिया जाता है अथवा हैण्डपंपों की स्थापना किसी व्यक्ति विशेष के घर में कर दी जाती है, यह पूर्णतः आपत्तिजनक है एवं यदि इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी इसके लिये उत्तरदायी होंगे । इसी प्रकार कुछ जिलों में राइजर पाइपों को अत्यधिक उपयोग का प्रचलन देखा गया है जब कि जल स्तर अधिक नीचे नहीं है । सभी संबंधित अधिकारी ऐसे जिलों में इन कार्यों की विशेष जांच करें तथा प्रतिवेदन भेजें एवं सभी अधिकारी इस संबंध में ऐसी प्रणाली विकसित करें कि प्रत्येक राइजर पाइप का पूर्ण लेखा विभाग में उपलब्ध रहे तथा किसी भी प्रकार की चोरी आदि की संभावना नहीं रहे । यह कार्यपालन यंत्री का दायित्व होगा कि वे ऐसी प्रभावी व्यवस्था अपने जिले में की जाना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियन्ता

पृ.कमांक/ 1360 /पी.ए./प्र.अ./मानि/ भोपाल, दिनांक 14.12.07

प्रतिलिपि :-

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

प्रमुख अभियन्ता